


न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा आज्ञा-पत्र

उनवान..... गोकुल बनाम सविता कुमारी
 किस्म मुकदमा धातु-2113 अपील संख्या 2021/22
 अभिभाषक अपीलान्त सविता कुमारी अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट धातु-2113

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
18.10.24	<p>पत्रावली पेश हुई/आज कोर्ट कंप स्थगित होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वस्ते नोटिस दिनांक 8.11.24 को पेश हो।</p> <p>(दीप्ति समचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	8.11.24
8.11.24	<p>पत्रावली पेश हुई/ नोटिस. अपीलान्त एवं अपीलान्त को सब-सब की दर की-मीन बाह्य कावाजे लगाने की तथा कोर्ट विस्तारित होने तक उत्पन्न अपीलान्त गणना फिर भी इनकी कोर्ट से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अकलोक्य किया गया। पत्रावली दिनांक 22.1.2016 को अदालत हाजरी एवं अदालत फीस में खासियत की गयी थी, जिसे दिनांक 5.2.21 को पुनः नम्बर पर लेते हुए दर्ज रजिस्टर किया गया। नोटिस अपीलान्त हाथ रखने के लिये नोटिस सभात जरिदे रजिस्टर्ड एन सी कादिनांक तब जारी कर पेश नहीं किये गये हैं। पत्रावली अदालत हाजरी एवं अदालत फीस में खासियत की जाती है। पत्रावली फिलहाल युगा होना बाह्य तारीख तक मील तकिल एक्टर हो।</p> <p>(दीप्ति समचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	



दिनांक 22.11.2013

श्री प्रदीपकुमार कर्माकर
चेक नं. 313 प्रेषण करी

Sodhani
18.10.2013

न्यायालय-- भू प्रबन्ध खम पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा केम्स कोर्ट, झालावाड & राजस्थान

अपील संख्या /2013

शेरू लाल आ. हर लाल जाति पाटीदार निवासी मिश्रीली
तहसील पचपहाड जिला- झालावाड राजस्थान --- अपीलाट

बनाम

- 1-- श्रीमती अनीता कुमारी पतिन अर्जुन पाटीदार निवासी
मिश्रीली तहसील पचपहाड जिला झालावाड
- 2-गोपाल आ. हर लाल जाति पाटीदार निवासी मिश्रीली
तहसीलपचपहाड जिला- झालावाड
- 3- चंदा बाई पतिन कन्हेया लाल पुत्री हर लाल जाति पाटीदार
निवासी गुराडिया जोगा तह.
- 4- केसर बाई पुत्री हर लाल पतिन पूरा लाल जाति पाटीदार
निवासी मिश्रीली तहसील पचपहाड जिला- झालावाड
- 5- राजस्थान सरकार जॉ ये तहसीलदार तहसील पचपहाड जिला
झालावाड राजस्थान ---- रस्ताडेन्ट्स

अपील बनाराजी फैसला व डिक्री दिनांक
30-9-2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी जिला- झालावाड राजस्थान।

मान्यवर,

अपीलाट निम्नलिखित अपील प्रस्तुत करता है:--

1-- यहकि माननीय अधि न्यायालय का निर्णय पत्र सगृह सार तथा
कानून के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है।